



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर

दिनांक – 12.05.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण –

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त शमीम पुत्र शहीद निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 402/2025 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शमीम पुत्र शहीद निवासी ग्राम काजीवाला थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

एक अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2.आरक्षी सोहनवीर थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3.आरक्षी लोकेश थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना शिवालाकलां

दिनांक – 12.05.2025

थाना शिवालाकलां पुलिस ने अभियुक्त को चोरी की बाइक सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण –

दिनांक 12.05.2025 को थाना शिवालाकलां पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त अरविन्द कुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द बाडीवाला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को चोरी की एक स्पेलन्डर प्लस मो0सा0 बिना प्लेट सहित गिरफ्तार किया गया । जांच करने पर उक्त मो0सा0 का सही नं0 DL55CU-4443 पाया गया जोकि वर्ष 2022 मे दिल्ली से चोरी हुई थी तथा जिस संबंध मे थाना शास्त्री पार्क, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर मु0अ0सं0 035190/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत है । बरामदगी के आधार पर थाना शिवालाकला पर मु0अ0सं0 69/25 धारा 317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अरविन्द कुमार पुत्र मेहर सिंह निवासी ग्राम बुन्दरा खुर्द बाडीवाला थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

मो0सा0 स्पलेण्डर प्लस बिना नम्बर प्लेट चैसिस नम्बर MBLHAW126NHBB0643 एवं इंजन नं0 HA11EYNHB84133

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 035190/22 धारा 379 भादवि थाना शास्त्री पार्क, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ।
2. मु0अ0सं0 69/25 धारा 317(2) बीएनएस थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 संजयपाल थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।
2. आरक्षी विष्णु शर्मा थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।
3. आरक्षी हरित थाना शिवालाकलां जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना रेहड़

दिनांक – 12.05.2025

थाना रेहड़ पुलिस ने मु0अ0सं0 39/2025 धारा 64/78/351(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में
वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 11.05.2025 को वादिया द्वारा थाना रेहड़ पर तहरीर दी गयी कि जितेन्द्र पुत्र जीराज सिंह निवासी ग्राम माधोवाला टांडा थाना रेहड़ जनपद बिजनौर द्वारा वादिया की पुत्री के साथ गलत काम किया तथा लगातार पीछा किया जा रहा है व जान से मारने की धमकी दे रहा है । जितेन्द्र उपरोक्त का साथी जगवीर पुत्र नामालूम निवासी ग्राम माधोवाला टांडा थाना रेहड़ जनपद बिजनौर द्वारा भी वादिया की पुत्री पर गलत नजर रखता है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रेहड़ पर मु0अ0सं0 39/2025 धारा 64/78/351(2) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट बनाम जितेन्द्र आदि कुल 02 नफर पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 12.05.2025 को थाना रेहड़ पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र जीराज सिंह निवासी ग्राम माधोवाला टांडा थाना रेहड़ जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जितेन्द्र पुत्र जीराज सिंह निवासी ग्राम माधोवाला टांडा थाना रेहड़ जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1.थानाध्यक्ष श्री विकास कुमार थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
- 2.उ0नि0 श्री रहीशपाल सिंह थाना रेहड़ जनपद बिजनौर
- 3.हे0कां0 353 पुरुषोत्तम सिंह थाना रेहड़ जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना चांदपुर

दिनांक – 12.05.2025

**थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 243/25 धारा 115(2)/352/351(3)/118(1)/109(1)/117(2)
बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 29.04.2025 को वादी श्री मुजम्मिल पुत्र फुरकान अहमद निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि 1.नवाब अहमद 2.शादाब अहमद 3.सरताज अहमद पुत्रगण बल्लन खां 4.बल्लन खां पुत्र इब्राहिम निवासीगण मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा खेत की मेढ़ को लेकर वादी व वादी के मामा के साथ लाठी डन्डो से मारपीट की गयी, जिससे वादी के मामा मजदूल हुसैन को गम्भीर चोट आयी तथा गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी । इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 243/25 धारा 115(2)/352/118(1)/351(3) बीएनएस बनाम नवाब अहमद आदि उपरोक्त पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उक्त अभियोग में धारा 109(1)/117(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही –

आज दिनांक 12.05.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नवाब अहमद पुत्र बल्लन खां निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है । शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास जारी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नवाब अहमद पुत्र बल्लन खां निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1.मु0अ0सं0 55/2025 धारा 3(5)/115(2)/333/117(2)/118(1)/352 बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 243/25 धारा 115(2)/352/118(1)/351(3)/109(1)/117(2) बीएनएस थाना चांदपुर बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली टीम

- 1.उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2.हे0कां0 371 धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3.कां0 1882 कृष्ण कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर